विनियम क्रमांक - 39

1.

स्नातकोत्तर कक्षाओं में कुछ पाठ्यक्रम प्रायोगिक आधारित है तथा कुछ पाठ्यक्रम मात्र सैद्धांतिक प्रष्न वाले होते है।

(अ)

प्रायोगिक कार्य वाली स्नातकोत्तर कक्षा हेतु निम्नानुसार संख्या निर्धारित होगी :-

1ण्

किसी भी स्नतकोत्तर कक्षा के प्रारंभ होने के वर्ष से प्रथम तीन वर्ष तक अधिकतम संख्या पन्द्रह होगी।

2ण्

उपर ऊपर कथित तीन वर्ष की अवधि बीतने के बाद संबंधित विषय में कम से कम चार षिक्षक होने पर यह संख्या अन्य सुविधाओं को ध्यान मे रखते हुये बीस तक की जा सकती है।

3ण्

किसी महाविद्यालय मे अति विषिष्ट सुविधाएं उपलब्ध होने पर यह संख्या विष्वविद्यालय के पूर्व अनुमोदन पर चालीस तक की जा सकती है। किसी भी स्थिति में संख्या चालीस से अधिक नही होगी।

(ब)

जिन स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रयोगिक कार्य नही होता उनमें षिक्षको की पर्याप्त संख्या एवं व्याख्यान कक्ष की समुचित सुविधा उपलब्ध होने पर अधिकतम पचास छात्रो को प्रवेष दिया जा सकेगा।

2ण्

विधि की कक्षाओं के लिए बार काउंसिल आफ इंडिया के निर्देष सभी महाविद्यालयों तथा उनसें सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए बंधनकारी है। तदनुसार निम्नलिखित प्रावधान किया जाता है :-

1ण्

बार काउंसिल के प्रावधानुसार षिक्षक छात्र अनुपात 1ः40 का होगा तथा विधि विषय प्रारम्भ होने के वर्ष से तीन वर्ष तक अधिकतम अस्सी छात्रों को प्रवेष दिया जा सकेगा।

2ण्

ऊपर कथित तीन वर्ष की अवधि के उपरान्त उपरोक्त क्रमांक में दिये गये षिक्षक छात्र अनुपात 1ः40 का पालन करते हुये षिक्षकों की पार्यप्त संख्या होने पर तथा विष्वविद्यालय के पूर्व अनुमोदन के पष्चात् अधिकतम छात्र संख्या तीन सौ बीस तक की जा सकती है। इसके बाद कोई वृद्धि नहीं की जा सकेंगी।

(डा. राम सुमन पाण्डेय)

कुल सचिव

विनियम क्रमांक - 40

रैगिंग की रोकथाम

ऱअ—

रैगिंग -

किसी विद्यार्थी को बलपूर्वक मजाक करने को मजबूर करना अथवा मानवीय सम्मान को नष्ट करना, जैसे कि- गलत तरीके से रोकना, गलत तरीके से कैद करना, अपराधिक प्रवृत्ति से नुकसान पहुंचाना, षारीरिक चोट पहुंचाना आदि।

ऱब—

विद्यार्थी -

समस्त विद्यार्थी को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से किसी विषय ऱकोर्स— से जुडे हैं तथा जिन्हे विष्वविद्यालय द्वारा डिग्री, डिप्लोमा सार्टिफिकेट मिलना है। इसमें नियमित विद्यार्थी, पूर्व छात्र, नान-कॉलेजियन, पी.एच.डी., एम. फिल छात्र इत्यादि सम्मिलित होंगे।

ऱस—

प्रोक्टोरियल बोर्ड -

विष्वविद्यालय के आध्यादेष क्रमांक के अनुसार -

3ण्

रैगिंग मुख्यतया निम्न प्रकार से होती है :-

सामुहिक कबायद करवाना।

परीक्षाओं के लिए कक्षा में नोट तैयार करवाना।

बेतुके कार्य करना या करवाना।

वरिष्ट छात्रों द्वारा सेवा करवाना।

अष्लील प्रष्नोत्तर करवाना।

अष्लील दिखाकर छात्रों का भोलापन नष्ट करना।

बलपूर्वक नषा करवाना।

बल पूर्वक विभिन्न प्रकार की रति क्रियाएं करवाना।

कपड़े उतरवाना अथवा चुम्बन लेना।

समाज की दृष्टि से अषोभनीय अन्य किसी प्रकार की गंदी हरकतें करना या करवाना।

ऐसा कोई भी कार्य करने के लिए बाध्य करना जो कि षारीरिक आघात, मानसिक यंत्रणा अथवा मृत्यु की ओर ले जाय।

4ण्

साधारणतया निम्नलिखित स्थानों पर ज्यादातर रैंगिंग होती है :-

छात्रावास एवं उनके भोजनालय

कक्षाओं के कमरे

केन्टिन

स्टेडियम अथवा खेलकूद मैदान

विद्यार्थियों के विभिन्न क्रिया-कलापों के केन्द्र

बस स्टैण्ड ँबस स्टाप—

5ण्

रैंगिग रोकने हेतु निम्नलिखित समितियां गठित होनी चहिए :-

;1द्ध

विजिलेंस कमेटी :-

जिसमे वरिष्ट ँफेकल्टी— मेम्बर एवे छात्रावास के अधिकारी एवं वरिष्ट विद्यार्थी इस समिति को रैंगिंग की निगरानी एवं निरीक्षण करके अपनी रिर्पोट अधिकारियों को प्रेषित करेंगें।

;2द्ध

अनुषासनात्मक कमेटी :-

जिसमें षिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावको के प्रतिनिधि होंगे। ये विजिलेंस कमेटी की अनुषंसाओं के आधार पर दण्ड निर्धारित करेंगें। यदि आवष्यक हुआ तो यह समिति घटनाओं की तहकीकात करेगी।
विष्वविद्यालय/अध्ययनषालाओं एवं छात्रावासों के प्रकरण प्रोक्टोरियल बोर्ड को प्रेषित किये जाएगें।

6ण्

अनुषायनात्मक समिति की अनुसंषाओं पर संस्था प्रमुख ँकुलसचिव, निदेषक, प्रा. प्रार्चाय— को तुरन्त कार्यवाही करना चाहिए।

7ण्

अनुषायनात्मक समिति की अनुसंषा के आधार पर रैंगिंग के प्रकार एवं गंभीरता के आधार पर निम्नलिखित दण्ड प्रस्तावित हैः-

प्रवेष ँएडमीषन— निरस्त।

कक्षाओं से निष्कासन।

छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभों से वंचित करना।

परीक्षाओं मे प्रवेष निष्कासन।

परीक्षाफल पर रोंक।

राष्ट८ीय एवं अन्तर्राष्ट८ीय स्तर के टूर्नामेंट, प्रतियोगिता, युवा उत्सव आदि मे संस्था का प्रतिनिधित्व करने पर रोक।

होस्टल, छात्रावासों से निष्कासन अथवा निलम्बन।

प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक संस्था से निष्कासन।

संस्था से निष्कासन एवं किसी भी संस्था में प्रवेष पर रोक।

पच्चीस हजार तक जुर्माना।

तीन वर्ष तक का कठोर कारावास।

पूर्व के दस दण्ड सक्षम अधिकारियों द्वारा दिये जा सकते है, जबकि अन्तिम दण्ड न्यायलय द्वारा दिया जावेगा।

8ण्

यदि रैंगिंग करने वाले पहचानने मे नही आये तो सामुहिक दण्ड दिया जाना चहिए, ताकि समूहों पर उचित प्रभाव पड़ सकें।

9ण्

रैंगिंग पर तुरन्त कार्यवाही हेतु संस्था को अपनी अनुषासनात्मक कार्यवाही निरंतर करना चाहिए। यद्यपि कोर्ट में एफ.आय.आर दर्ज हो।

10ण्

प्रपालक ँप्राक्टर— एवं दूसरे अधिकारियों की षक्ति को पर्याप्त बढ़ा देना चाहिए।

ँडा. राम सुमन पाण्डेय—

कुल सचिव

विनियम क्रमांक – 41

विष्वविद्यालय गृह निर्माण अग्रिम

सामान्य षर्तेः-

1.

सम्बन्धित विष्वविद्यालयीन सेवकों के निजी आवस हेतु उपयुक्त भवन के लिए अग्रिम वास्तविक आवष्यकता के अनुसार होना चहिए। यदि इस उद्धेष्य की पूर्ति के लिए वास्तविकता से अधिक अग्रिम दिया गया है तो अधिक राषि विष्वद्यिलय को वापिस कि जाना अनिवार्य है। जिस उद्धेष्य हेतु अग्रिम दिया गया है, यदि बची राषि का उपयोग किसी अन्य प्रायोजन के लिए किया जाता है तो सम्पूर्ण अग्रिम को ब्याज सहित तुरंत वापिस करने हेतु निर्देषित करने के साथ मध्यप्रदेष सिविल सेवा ँवर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील— नियम 1065 के अर्न्तगत एसे विष्वविद्यालय सेवक के विरूद्ध अनुषासनिक कार्यवाही की जावेगी। यदि कर्जदार ब्याज सहित संपूर्ण राषि को लौटाने मे असफल रहता है तो अतिषेष ष्भू-राजस्वष् के बकाया के रूप मे वसूल की जायेगी।

2.

स्वीकृत अग्रिम की राषि किस्तों मे कि जायेगी। प्रत्येक किस्त आगामी तीन महीनों के खर्च को आवष्यकता के अनुसार होगी। अगली किस्त भूगतान करने के पूर्व दी गई राषि का उसी उदेष्य की पूर्ति मे किये गये भूगतान करने हेतु पूर्व राषि को उसी उदेष्य की पूर्ति मे किये गये प्रयोग करने बावत् संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.

अग्रिम स्वीकृति आदेष मे यह स्पष्टतः उल्लेखित किया जायेगा की जिस वित्तीय वर्ष मे इसे स्वीकृत किया गया है उसी वित्तीय वर्ष में इसका आहरण करना अनिवार्य है अन्यथा वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर की गई स्वीकृति समाप्त हो जायेगी।

व्यक्ति जिसको पात्रता है :-

जिन स्थाई अथवा अस्थाई वि.वि. कर्मचारी का उस नगर में जहाĄ वह वि.वि. से अग्रिम लेकर गृह निर्माण करवाना या अर्जित करना प्रस्तावित करना हो उसके अपने/उसकी पत्नी के/उसके पति के/अवस्यक बच्चो के नाम से म.प्र. अथवा भारत मे कोई भूखण्ड अथवा माकान नही है तो वह राज्य के भीतर किसी भी ऐसे स्थान मे अपने रहने के लिए भूखण्ड अथवा निर्माण भवन अथवा भवन क्रय हेतु अग्रिम प्राप्त करने की पात्रता रखता है बर्षेते कि -

1.

यदि वह स्थाई वि.वि. का सेवक है तो उसने लगातार पांच वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया हो।

2.

यदि वह अस्थाई सेवक है तो उसने आठ वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो तथा उसके लिए दो स्थाई षासकीय सेवकों की प्रति भूतिंया अनुप्रमाणित कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.

यदि पति, पत्नी दोनो वि.वि. सेवा मे है तो केवल एक ही को अग्रिम की पात्रता होगी और वह भी पूरी षासकीय सेवा की अवधि मे एक बार यदि भूखण्ड यदि पति के नाम है तो पत्नी को अग्रिम की पात्रता नही होगी। इसी प्रकार यदि भूखण्ड पत्नी के नाम है तो पति को अग्रिम की पात्रता नही होगी। यदि भूखण्ड पति एवं पत्नी दोनो के साम संयुक्त रूप से है तो किसी एक को अग्रिम की पात्रता इस षर्त के साथ होगी की दोनो भूखण्ड को संयुक्त रूप से वि.वि. को पहले रेहन रखने की सहमति दें तथा अग्रिम मिलने पर संयुक्त रूप से पंजीकृत रेहननामा प्रस्तुत करें।

4.

निलम्बन काल मे निलंबित विष्वविद्यालयीन सेवक को गृह निर्माण/क्रय अग्रिम स्वीकार नही किया जाएगा।

अग्रिम की राषि

1.

वि.वि. सेवक को पूरे सेवाकाल के दौरान केवल एक ही अग्रिम स्वीकृत किया जावेगा। ।

2.

पुनरीक्षित वेतनमान में अग्रिम को अधिकतम राषि रू. 2.50 लाख या 50 माह का मूल वेतन इनमें जो भी कम हो, दिनांक 16.03.1992 से पुनरीक्षित की गई है। भूखण्ड क्रय अग्रिम की राषि सामिल है।

3.

पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ न लेने वाले विष्वविद्यालयीन सेवकों के लिए वेतन के अलावा दिनांक 01-01-1986 तक देय मंहगाई भत्ता कुल राषि 608 उपभेक्ता मुल्य सूचकांक तक षामिल कि जायेगी।

4.

भूखण्ड क्रय हेतु अग्रिम की अधिकतम राषि रू. 50,000/- या 10 माह का मूल वेतन के बराबर इसमे जो भी कम हो देय होगी।

5.

यदि भूखण्ड क्रय हेतु भी अग्रिम लिया गया है तो गृह निर्माण अग्रिम की राषि का निर्धारण भूखण्ड क्रय अग्रिम की राषि कम करके लिया जावेगा। उदाहरणार्थ यदि भूखण्ड क्रय हेतु रूपये 65,000 का अग्रिम लिया गया है तो गृह निर्माण हेतु अग्रिम की अधिकतम पात्रता रूपये 1,85,000 होगी।

गृह निर्माण हेतु स्वीकृत अग्रिम की राषि का भुगतान -

गृह निमार्ण की अग्रिम की पूर्ण राषि न तो एक बार में आहरित की जायेगी और न ही एक किस्त मे वि.वि. सेवक को भुगतान की जायेगी, इसे निम्नानुसार तीन किस्तो मे आहरित कर भुगतान किया जायेगा :-

1.

विष्वविद्यालयीन सेवक द्वारा क्रय किये गये भूखण्ड और उस पर बनने वाले मकान को वि.वि. के पक्ष मे रेहननामा प्रस्तुत करने पर

स्वीकृत अग्रिम राषि का 30 प्रतिषत

2.

प्लिंथ रूगर पर मकान निर्माण कार्य पूर्ण हाने पर।

स्वीकृत अग्रिम राषि का 40 प्रतिषत तक

3.

मकान का निर्माण कार्य छत स्तर तक पहुचाने पर बर्षेते की स्वीकृत प्राधिकारी संतुष्ट हो की किस स्थान पर मकान का निर्माण किया जा रहा है वहां पर जल प्रदाय, रोषनी, सड़क, जल निकास तथा मूल व्यवस्था आदि का कार्य हो चुका हो, जिसका प्रमाण पत्र वि.वि. यंत्री द्वारा जारी किया गया हो।

स्वीकृत अग्रिम की षेषराषि

बना बनाया मकान क्रय करने हेतु अग्रिम :-

1.

नगर विकास प्रधिकरण नगर सुधार न्यास, गृह निर्माण मंडल अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरण से हायर परचेज आधार ॅन्दकमत भ्पतम च्नतबींम ैबीमउम — पर बने बनाये मकान के क्रय हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है बर्षेते की संबंधित प्राधिकरण अथवा मंडल षासन के पक्ष मे मकान के लिए प्रथम रेहननामे के अधिकारों को लिखने के लिए राजी हो इसके लिए एक निर्धारित प्रपत्र मे प्रमाण-पत्र दिया जावेगा।

विद्यमान आवस की उपरी मंजिल हेतु निर्माण अग्रिम :-

1.

जहां कोई आवेदक अपने आवास की उपरी मंजिल हेतु निर्माण करना चाहता है उसे भी नियम के अंतर्गत अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है।

2.

म.प्र. षासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 676/आर/1330/86/आर-चार दिनांक 11-06-1986 द्वारा नियम 238 में क्लाज ॅडी— जोड़ते हुए षासन के अवगत कराया गया की जहां कोई आवेदक किसी आवास की उपरी मंजिल पर संगंर्धन करना चाहता है, गृह निर्माण अग्रिम 50ः को प्रत्येक दो किस्तों मं दिया जावेगा। पहली किस्त वर्तमान

आवास को आवेदक द्वारा वि.वि. को रेहन करने के लिए बंधक प्रस्तुत करने के बाद तथा दूसरी किस्त निर्माण कार्य छत स्तर तक पहुंचाने के बाद दी जायेगी।

माकान के मरम्मत हेतु अग्रिम :-

1.

मकान की मरम्मत हेतु अग्रिम उसी दषा मे स्वीकृत किया जाऐगा जब :-

1.

मकान को रहने योग्य मरम्मत कराना हो,

2.

की जाने वाली मरम्मत साधारण प्रकृति की न हो ,

3.

मकान के मूल्य की तुलना में अधिक लागत का प्रस्ताव हो तथा,

4.

पूर्व में गृह निर्माण/क्रय अथवा भूखण्ड क्रय हेतु कोई अग्रिम न लिया हो,

2.

एक ही मकान के लिए एक से अधिक अग्रिम स्वीकार नही किया जाऐगा।

3.

मरम्मत हेतु अग्रिम शासकीय कर्मचारी के 15 माह के वेतन की राशि तक सीमित रहेगी।

4.

मकान के परवर्धन तथा परिवर्तन के लिए भी रूपयें 50,000 की अधिकतम सीमा के अधीन अग्रिम दिया जा सकेगा बशर्ते कि शासकीय सेवक द्वारा गृह निर्माण अथवा भूखण्ड क्रय हेतु पूर्व मे कोई अग्रिम प्राप्त न किया हो

5.

अग्रिम की वसूली पाÃच वर्ष की अधिकतम अवधि मे हो जाना चाहिए

माकान की अधिकतम मुल्य सीमा :-

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न श्रेणी मे वि.वि. सेवको के लिए मकान को अधिकतम मूल्य सीमा जिसमे प्लांट का मूल्य तथा विकास लागत एवं खर्चे शामिल हों निम्नानुसार निर्धारित की गई है। इस मूल्य सीमा में कर्मचारी द्वारा भवन निर्माण/क्रय पर किये गये सभी साधनों से ब्याज शामिल किये जायेगें :-

श्रेणी

अधिकतम लागत

1.

उन कर्मचारियों के लिए जिनका पचास माह का मूल्य वेतन रूपये 1,35,000 तक हैं।

रूपये 2.50 लाख ँरू. दो लाख पचास हजार—

2.

उन कर्मचारियों के लिए जिनका पचास माह का मूल्य वेतन 1,35,000 से अधिक है परंतु रूपये 2,25,000 तक है।

रूपये 4.00 लाख ँरू. चार लाख —

3.

उन कर्मचारियों के लिए जिनका पचास माह का मूल्य वेतन रूपये 2,25,000 से अधिक हैं।

रूपये 5.00 लाख ँरू. पाąच लाख —

यदि प्रषासकीय विभाग मामले के गुण दोष पर संतुष्ट हो तो अधिकतम लागत में प्रत्येक मामले मे उपरोक्तानुसार निर्धारित लागत सीमा मे कार्यपरिषद की सहमति प्राप्त कर 25 प्रतिषत की अधिकतम आय वृद्धि कि स्वीकृति दी जा सकती है।

अग्रिम तथा ब्याज की वसूली :-

1.

भवन निर्माण हेतु तथा बना बनाया मकान क्रय हेतु अग्रिम :-

म.प्र. षासन वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 19-04-1989 के पैरा 9 के अनुसार स्वीकृत अग्रिम राषि षासकीय सेवकों के वेतन से निम्नानुसार मासिक किस्तों सें वसूल की जायेगी :-

1.

जिन वि.वि. सेवको को सेवा निवृत्त होने मे 20 वर्ष से अधिक षेष है।

मूल वेतन के 1/3 भाग के बराबर परंतु स्वेच्छा से 50 प्रतिषत तक

2.

जिन वि.वि. सेवको को सेवा निवृत्त होने मे 20 वर्ष से कम तथा 10 वर्ष से अधिक हों।

मूल वेतन के 50 प्रतिषत के बराबर

3.

जिन वि.वि. सेवको को सेवा निवृत्त होने मे 10 वर्ष से कम षेष हों।

मूल वेतन के 60 प्रतिषत के बराबर

गृह निर्माण पूर्ण होने अथवा वि.वि. सेवक को अग्रिम की प्रथम किस्त के भुगतान होने के दिनांक से 12 महीने बाद, इसमें जो भी पहलें हों अग्रिम की वापसी प्रारंभ होगी। ब्याज सहित अग्रिम राषि की वापसी अधिकतम 25 वर्षो मे समान मासिक किस्तों में की जायेगी। सर्वप्रथम मूल अग्रिम राषि की वसूली अधिक से अधिक 216 मासिक किस्तों में और तत्पष्चात् जो 84 मासिक किस्तो अधिक न हो, की जायेगी।

प्रषासकीय विभाग की किसी भी वि.वि. सेवक को जो अग्रिम स्वीकृत हेतु आवेदन की तिथि से 20 वर्ष के भीतर सेवा निवृत्त होने वाला हो तथा जो ग्रेज्युटी और डी.सी.आर. ग्रेज्युटी का पात्र हो बचे हूए सेवा काल में ब्याज सहित अग्रिम की वापिसी सुविधाजनक मासिक किस्तों मे क्लाज में यह प्रावधान करें की वि.वि. को ब्याज सहित अग्रिम की षेष राषि जो उसकी सेवा निवृत्त अथवा मृत्यु के समय षेष रहती है उसे स्वीकृत की जाने वाली ग्रेज्युटी से वसूली करने के लिए यह राजी हैं। किस्तों की राषि 20 वर्षो की वापसी के आधार पर मासिक किस्तों की राषि से कम नहीं होंगी।

2.

भूखण्ड हेतु अग्रिम वसूली

भूखण्ड हेतु अग्रिम की वसूली 1/72 की दर से वि.वि. सेवक के वेतन से, मासिक किस्तों में की जाएगी।

3.

मकान मरम्मत अग्रिम की वसूली -

मा मरम्मत इग्रिम की वसूली की अधिकतम पाAच वर्षो में की जाएगी।

4.

सामान्य :-

1.

नियमों के अन्तर्गत प्राप्त अग्रिम स्वीकृत कर्ता प्रधिकारी का किस्तों में वसूली दें सकता है, बर्षेतें की अग्रिम प्राप्त कर्ता वि.वि. सेवक एसी इच्छा व्यक्त करें।

2.

अग्रिम राषि जिसे वसूल किया जाना है पूर्ण रूपयें मे निर्धारित करना चाहिए। जब अग्रिम कि राषि समान मासिक किस्तों मे विभाजित होनें योग्य न हों तों अंष को प्रथम किस्त के साथ करना चाहिए।

3.

नियमों के अर्न्तगत वि.वि. सेवक द्वारा स्वेच्छा से अथवा अन्यथा सेवा छोडने के समय ही मूल अग्रिम तथा ब्याज को षेष बचा है उसका दातव्य उसी समय लागू हो जाता है, और जहाA तक संभव हो उसे वि.वि. सेवक के वेतन,

भत्तों तथा अन्य दातव्यों से एक किस्त में वसूल करना चाहिए। वि.वि. सेवक को षेष राषि तुरंत नगद में अदा करना चाहिए और यादि व्यवहारिक न हो तो सेवा निवत्ृत के पूर्व ही उससे यह संपत्ती प्राप्त करना चहिए कि इसे उसकी पेंषन से सामान्य दर में वसूली की जाए।

4.

यदि किसी वि.वि. सेवक की मृत्यू उसके सेवा काल में रहतें हुए हो जाए तो उसको स्वीकृति गृह निर्माण/क्रय/भूखण्ड क्रय अग्रिम राषि में से मृत्यू के दिन बकाया राषि मंयब्याज के वित्त विभाग से परामर्ष कर माफ की जायेगी बषर्ते की वि.वि. सेवक कि मृत्यू की दिनांक तक की बकाया राषि ब्याज सहित वसूल हो गई हो इस संदर्भ में मध्यप्रदेष षासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक डी 559/1031/चार/नि-4/85 दिनांक 10.05.1985 तथा क्रमांक डी 1035/3190/नि-4/चार दिनांक 02.09.1986 का आवलोकन करें।

5.

किसी विषेष प्रकरण में अग्रिम स्वीकृति कर्ता प्राधिकारी मासिक किस्त कि राषि में कमी करने का आदेष कर सकता है, किन्तु संपूर्ण राषि मूलतः निर्धारित अवधि मे ही वसूल की जाएगी।

अग्रिम पर ब्याज

सामान्य नियम :-

1.

भवन निर्माण, मोटरकार, मोटर सायकिल अथवा अन्य वाहनों हेतु वि.वि सेवको को स्वीकृति अग्रिमों पर साधारण ब्याज लिया जाता है। वि.वि. द्वारा उधार ली गई राषि के संदर्भ में समय-समय पर ब्याज की दर निष्चित की जाती है प्रत्येक महीने की अन्तिम तिथि पर अवषेष अग्रिम की राषि पर ब्याज की गणन की जाती है

2.

जब कोई अग्रिम एक से अधिक किस्तों मे आहरित की जाती है ऐसे प्रकरणों मे वसूली योग्य ब्याज की दर वह होगी जो प्रथम किस्त के आहरण के दिनांक को विद्यमान थी।

3.

ऐसे प्रकरणों मे जहाÄ अवषेष अग्रिम की राषि वि.वि. सेवक के डी.सी.आर. ग्रेज्यूटी, से समायोजित की जानी हो, वि.वि. सेवक की मृत्यू अथवा सेवा निवृत्ती इससे जो भी पहले हों, की तिथि तक ब्याज की गणना की जाएगी।

4.

म.प्र. षासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक डी 559/1031/चार/नि-4/85 दिनाकं 10.05.1085 नियम 240 के नोट - 3 के अनुसार यदि किसी वि.वि. सेवक की मृत्यु उसके सेवाकाल में रहते हुए हो जाय तो उसको स्वीकृत गृह निर्माण/क्रय/भूखण्ड क्रय अग्रिम राषि मे से मृत्यू के दिन बकाया राषि मय ब्याज के वित्त विभाग के परामर्ष पर माफ की जाएगी बषर्ते की वि.वि. सेवक की मृत्यू की दिनांक तक की बकाया राषि ब्याज सहित वसूली की गई हो।

5.

गृह निर्माण अग्रिमों की वसूली की प्रक्रिया में ब्याज की उÄची दर वाले ऋण का भाग प्रथम वापस माना जावेगा।

2.

ब्याज की गणना का सूत्र :-

;1द्ध

यदि अग्रिम राषि समान किस्तों मे बिना किसी रूकावट के बराबर वसूल की गई हो, एसे मामलो में जहाA स्वीकृति अग्रिम राषि की वसूली निष्चित समान किस्तों में समान राषि बिना किसी रूकावट के वि.वि. सेवक से लगातार मासिक देयकों से की गई है जहां ब्याज की राषि की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :-

2.

2.

जबकि मूल धन की अदायगी बराबर किस्तों मे कि जाये तथा षेष राषि एक मुष्त :-

3.

जब मूल धन की अदायगी नियमित रूप से न की जाये :-

ब्याज त्र प्रत्येक माह के अवषेष का योग

जिसमें :-

छत्र

किस्तों की संख्या जिसमें आखिरी एक भुगतान की राषि वाली किस्त षामिल है।

।त्र

मूलधन की राषि

ग्त्र

किस्त की रकम

त्त्र

ब्याज की दर

स्त्र

अंतिम षेष जिस पर ब्याज देय है।

रेहननामा मुक्त कराने की प्रक्रिया :-

म.प्र. वित्तीय संहितां, भाग एक के नियम 241 के अनुसार वि.वि. सेवकों को गृह निर्माण मंण्डल/भवन क्रय/प्लाट क्रय अग्रिम की जो राषि वि.वि. द्वारा स्वीकृति की जाती है जिसके बदले में मकान/प्लाट वि.वि. के पक्ष मे रेहन रखा जाता है। रेहननामा उस समय मुक्त किया जायेगा, जब अग्रिम तथा ब्याज की पूर्ण राषि को वसूली की पुष्टी वि.वि. वित्त विभाग तथा अवासीय संपरीक्षा द्वारा की जाय।

अब सभी वि.वि. सेवको से की जाने वाली अग्रिम की वापसी से संबंधित कटौती का लेखा-जोखा आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा रखा जाता है और वसूली की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। अतः वि.वि. वित्त विभाग की सहमति से यह निर्णय लिया गया है कि जिन कर्मचारीयों के वेतन य भत्ते आहरण एवं संवितरण अधिकारी के द्वारा अहरित किये जाते है, उनके प्रकरणों से भवन/प्लाट का रेहननामा आहरण एवं संवितरण अधिकारी के इस प्रमाण पत्र के आधार पर कर्मचारी से अग्रिम तथा ब्याज की वसूली की जा चुकी है। आवासीय संपरीक्षा की पुष्टि के उपरांत ही मुक्त कर दिया जाय। साथ ही आवेदक से म.प्र. वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक डी-1065/2718/चार नि-4/84 दिनांक 28.07.1984 मे निर्धारित फार्म मे इस आषय का सहमति पत्र कि ष्यदि विभागीय गणना तथा

महालेखाकार की गणना मे कोई अंतर आता है तो राषि उसके द्वारा एक मुष्त जमा कर दी जायेगी अन्यथा उसकी वसूली उसके पेंषन से काट कर वसूल करने का वि.वि. को पूर्ण अधिकार होगाष् प्राप्त किया जायेगा।

इस कार्यवाही के पष्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा गृह तथा उसकी भूमि को निर्धारित प्रपत्र मे प्रति हस्तांतरण विलेख निष्पादित कर बंधन से निर्मुक्त कर दिया जायेगा।

नियम ँत्नसमे—

सामान्य :-

;1द्ध

निम्नलिखित नियम प्रषासकीय सेंवकों और अन्य व्यक्तियों को अग्रिम देने का विनिमय करतें हैं। जो मामले इस पूर्ण उल्लेखित नियमों के अंर्तगत नही आते है, उन मामलों में कार्यपरिषद/कुलपति के विषेष आदेषों के बिना अग्रिम नही किये जा सकते।

1.

वि.वि. कर्मचारी को कोई भी ब्याज सहित वैकल्पिक अग्रिम मंजूर करने से पूर्व वित्त विभाग से विधियों की उपलब्धता संबंधी एक प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किया जाना चाहिए और अग्रिम मंजूर करने वाले आदेषो में वह दिनां विनिर्दिष्ट दर्षाया जाना चाहिए जिस दिनांक को वित्त विभाग ने निधियों की उपलब्धता प्रमाणित की हो। मंजूरी में यह बात भी विनिर्दिष्ट उल्लेखित की जानी चाहिए कि अग्रिम उस वित्तीय वर्ष के भीतर आहरित किया जाना चाहिए जिस वित्तीय वर्ष मे मंजूरी जारी की गई हो और यह भी अन्यथा मंजूरी वित्तीय वर्ष की समाप्ति की साथ व्यय गत ँलैप्स— हो जाएगी।

2.

कोई भी ऐसा अग्रिम मंजूर करना अनुमति नही है जिसमें अधिकाधिक आधार भूत सिद्धान्तों मे से किसी भी सिद्धान्त का उल्लंघन अंतग्रस्त हो।

3.

ग्रह निर्माण के लिए मोटरकारों, मोटर सायकलों या अन्य वाहनों के क्रय के लिए षासकीय सेंवको को दिये गये अग्रिमों पर साधारण ब्याज प्रमाणित किया जाऐगा। ब्याज की दर समय- समय पर राज्य षासन की उधार लेने की दर ŏब्याज दर— निष्चित की जाती है वि.वि. में यथावत मान्य की जायेगी।

4.

साधारणतः गृह निर्माण अग्रिम उन वि.वि. सेवकों पर लागू नही होता जो की स्थाई न हो। चूकिं एसे वि.वि. सेवको का वेतन किसी भी भरण के लिए पर्याप्त प्रतिभूति नही होता इस लिए साधारणतः इन्हे अग्रिम नही दिये जाने चाहिऐं तथापि विषेष मामलों मे यदि परिस्थितियां ऐसी हो की पर्याप्त प्रतिभूति की व्यवस्था होती है, तो स्थापन्न या अस्थाई वि.वि. कर्मचारि को प्रतिस्थायी नियुक्ति में बिना इन नियमों के निबंधनो के अनुसार वित्त विभाग सामान्य या विषेष मंजूरी के अधीन अग्रिम दिये जा सकेगें।